श्री अशोक कुमार व श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्यगण, विधान परिषद द्वारा द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम गुरूवार के लिये पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर

16(क)	क्या उप मुख्य मंत्री बतायेंगे कि निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के पत्र संख्या-पी0जी0आई0/अधि0/आर0एस0डी0-208/17/399/2021 दिनांक 26.08.2021 जो प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन को संबोधित है, जो संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की भाँति भत्ते प्रदान किये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख)	यदि हॉ, तो क्या एस0जी0पी0जी0आई0 प्रथम विनियमावली-2011 के नियम-74 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुये संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की भाँति भत्ते प्रदान किये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है?	जी हाँ। निदेशक, एस0जी0पी0जी0 आई0, लखनऊ के पत्र संख्या-पी0जी0आई0/अधि0/आर0एस0डी0-208/17/399/2021 दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में संस्थान के कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की भाँति वर्दी भत्ता प्रदान किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-111/2022/99/71-2099/2874/2020, दिनांक 05 सितम्बर, 2022 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।
(ग)	यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री।

Atul sir